



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 673 राँची, मंगलवार,

22 अक्टूबर, 2024 (ई०)

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

अधिसूचना

22 अक्टूबर, 2024

संख्या-01/नि0(वि0स0)-16-19/2024/27:- यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार झारखण्ड राज्य की विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, 5 जनवरी, 2025 को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी और उसके पश्चात् उसकी अवधि के अवसान पर विघटित मानी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार झारखण्ड राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, झारखण्ड राज्य के राज्यपाल एतद्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्विनिर्दिष्ट नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार झारखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
1-राजमहल
2-बोरियो (अ.ज.जा.)
3-बरहैट (अ.ज.जा.)
4-लिटिपाड़ा (अ.ज.जा.)
5-पाकुड़
6-महेशपुर (अ.ज.जा.)
7-शिकारीपाड़ा (अ.ज.जा.)
8-नाला
9-जामताड़ा
10-दुमका (अ.ज.जा.)
11-जामा (अ.ज.जा.)
12-जरमुण्डी
13-मधुपुर
14-सारठ
15-देवघर (अ.जा.)
16-पोड़ैयाहाट
17-गोड्डा
18-महगामा
23-रामगढ़
24-मांडू
28-धनवार
29-बगोदर
30-जमुआ (अ.जा.)
31-गाण्डे

32-गिरिडीह
33-डुमरी
34-गोमिया
35-बेरमो
36-बोकारो
37-चन्दनकियारी (अ.जा.)
38-सिन्दरी
39-निरसा
40-धनबाद
41-झरिया
42-टुन्डी
43-बाघमारा
61-सिल्ली
62-खिजरी (अ.ज.जा.)

राज्यपाल के आदेश से व उनके नाम

(एल० खियांगते)

झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(के० रवि कुमार)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

CABINET (ELECTION) DEPARTMENT**NOTIFICATION****22nd October, 2024**

No. 01/Ni.(Vi.Sa.)/16-19/2024/27:- WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Jharkhand, unless sooner dissolved, shall continue upto and including the 5th January, 2025 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Jharkhand ;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Jharkhand is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State of Jharkhand specified in the Table below to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

TABLE

NUMBER AND NAME OF ASSEMBLY CONSTITUENCIES
1-Rajmahal
2-Borio(ST)
3-Barhait (ST)
4-Litipara (ST)
5-Pakaur
6-Maheshpur (ST)
7-Sikaripara (ST)
8-Nala
9-Jamtara
10-Dumka (ST)
11-Jama (ST)
12-Jarmundi
13-Madhupur
14-Sarath

15-Deoghar (SC)
16-Poreyahat
17-Godda
18-Mahagama
23-Ramgarh
24-Mandu
28-Dhanwar
29-Bagodar
30-Jamua (SC)
31-Gandey
32-Giridih
33-Dumri
34-Gomia
35-Bermo
36-Bokaro
37-Chandankiyari (SC)
38-Sindri
39-Nirsa
40-Dhanbad
41-Jharra
42-Tundi
43-Baghmara
61-Silli
62-Khijri (ST)

BY ORDER AND IN THE NAME OF GOVERNOR

(L. KHIANGTE)
CHIEF SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

भारत निर्वाचन आयोग

.....

अधिसूचना

22 अक्टूबर, 2024 / 30 आश्विन, 1946 (शक)

सं० 464/पूर्व अनु०-1/झार०.-वि.स./2024:- यतः, झारखण्ड राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई, दिनांक. 22 अक्टूबर, 2024 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट झारखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दे;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

- (अ) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :
- (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार)
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 30 अक्टूबर, 2024 (बुधवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख : 1 नवम्बर, 2024 (शुक्रवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा : 20 नवम्बर, 2024 (बुधवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा : 25 नवम्बर, 2024 (सोमवार)

नियत करता है; और

(आ) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में दिखाए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को स्तम्भ (1) में दिखाए गए तत्स्थानी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
(1)	(2)
1-राजमहल	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
2-बोरियो (अ.ज.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
3-बरहैट (अ.ज.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
4-लिटिपाड़ा (अ.ज.जा.)	03 मतदान केन्द्र सं० 233, 234, 255 में प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे शेष 269 मतदान केन्द्रों में प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
5-पाकुड़	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
6-महेशपुर (अ.ज.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
7-शिकारीपाड़ा (अ.ज.जा.)	10 मतदान केन्द्र सं० 2, 5, 7, 57, 58, 110, 118, 150, 151, 155 में प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे शेष 251 मतदान केन्द्रों में प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
8-नाला	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
9-जामताड़ा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
10-दुमका (अ.ज.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
11-जामा (अ.ज.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
12-जरमुण्डी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
13-मधुपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
14-सारठ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
15-देवघर (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
16-पोड़ैयाहाट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे

17-गोड्डा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
18-महगामा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
23-रामगढ़	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
24-मांझू	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
28-धनवार	04 मतदान केन्द्र सं० 1, 2, 3, 92 में प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे शेष 420 मतदान केन्द्रों में प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
29-बगोदर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
30-जमुआ (अ.जा.)	04 मतदान केन्द्र सं० 70, 71, 72, 73 में प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे शेष 396 मतदान केन्द्रों में प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
31-गाण्डे	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
32-गिरिडीह	06 मतदान केन्द्र सं० 323, 353, 354, 355, 361, 364 में प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे शेष 361 मतदान केन्द्रों में प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
33-डुमरी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
34-गोमिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
35-बेरमो	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
36-बोकारो	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
37-चन्दनकियारी (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
38-सिन्दरी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
39-निरसा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे

40-धनबाद	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
41-झरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
42-टुन्डी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
43-बाघमारा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
61-सिल्ली	02 मतदान केन्द्र सं0 25, 26 में प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे शेष 277 मतदान केन्द्रों में प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे
62-खिजरी (अ.ज.जा.)	02 मतदान केन्द्र सं0 204, 205 में प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे शेष 411 मतदान केन्द्रों में प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे

आदेश से,

(अरविन्द आनन्द)
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(के० रवि कुमार)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

22nd October, 2024/ 30 Asvina, 1946 (Saka)

NO. 464/ES-1/JKD-LA/2024:- WHEREAS, the Governor of the State of Jharkhand has, by a notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official gazette of the State on the 22nd October, 2024, been pleased to call upon each of the Assembly Constituencies in the State of Jharkhand, as specified in column (1) of the Table below, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission hereby-

(A) **appoints**, with respect to the said election from each of the Assembly Constituencies specified in the said Table :-

- | | |
|--|--|
| (a) the 29 th October, 2024 (Tuesday) , | as the last date for making nominations; |
| (b) the 30 th October, 2024 (Wednesday), | as the date for scrutiny of nominations; |
| (c) the 1 st November, 2024 (Friday); | as the last date for withdrawal of candidatures; |
| (d) the 20 th November, 2024 (Wednesday), | as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and |
| (e) the 25 th November, 2024 (Monday), | as the date before which the election shall be completed; and |

(B) fixes the hours, as shown in column (2) of the Table below, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, in the corresponding constituency shown in column (1) of the said Table:-

TABLE

Number and Name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
(1)	(2)
1-Rajmahal	07:00 AM to 05:00 PM
2-Borio(ST)	07:00 AM to 05:00 PM
3-Barhait (ST)	07:00 AM to 05:00 PM
4-Litipara (ST)	For 3 Polling Stations (Polling Station Nos. 233, 234, 255) 07:00 AM to 04:00 PM For remaining 269 Polling Stations 07:00 AM to 05:00 PM
5-Pakaur	07:00 AM to 05:00 PM
6-Maheshpur (ST)	07:00 AM to 05:00 PM
7-Sikaripara (ST)	For 10 Polling Stations (Polling Station Nos. 2, 5, 7, 57, 58, 110, 118, 150, 151, 155) 07:00 AM to 04:00 PM For remaining 251 Polling Stations 07:00 AM to 05:00 PM
8-Nala	07:00 AM to 05:00 PM
9-Jamtara	07:00 AM to 05:00 PM
10-Dumka (ST)	07:00 AM to 05:00 PM
11-Jama (ST)	07:00 AM to 05:00 PM
12-Jarmundi	07:00 AM to 05:00 PM
13-Madhupur	07:00 AM to 05:00 PM
14-Sarath	07:00 AM to 05:00 PM
15-Deoghar (SC)	07:00 AM to 05:00 PM
16-Poreyahat	07:00 AM to 05:00 PM
17-Godda	07:00 AM to 05:00 PM
18-Mahagama	07:00 AM to 05:00 PM

23-Ramgarh	07:00 AM to 05:00 PM
24-Mandu	07:00 AM to 05:00 PM
28-Dhanwar	For 4 Polling Stations (Polling Station Nos. 1, 2, 3, 92) 07:00 AM to 04:00 PM For remaining 420 Polling Stations 07:00 AM to 05:00 PM
29-Bagodar	07:00 AM to 05:00 PM
30-Jamua (SC)	For 4 Polling Stations (Polling Station Nos. 70, 71, 72, 73) 07:00 AM to 04:00 PM For remaining 396 Polling Stations 07:00 AM to 05:00 PM
31-Gandey	07:00 AM to 05:00 PM
32-Giridih	For 6 Polling Stations (Polling Station Nos. 323, 353, 354, 355, 361, 364) 07:00 AM to 04:00 PM For remaining 361 Polling Stations 07:00 AM to 05:00 PM
33-Dumri	07:00 AM to 05:00 PM
34-Gomia	07:00 AM to 05:00 PM
35-Bermo	07:00 AM to 05:00 PM
36-Bokaro	07:00 AM to 05:00 PM
37-Chandankiyari (SC)	07:00 AM to 05:00 PM
38-Sindri	07:00 AM to 05:00 PM
39-Nirsa	07:00 AM to 05:00 PM
40-Dhanbad	07:00 AM to 05:00 PM
41-Jharia	07:00 AM to 05:00 PM
42-Tundi	07:00 AM to 05:00 PM
43-Baghmara	07:00 AM to 05:00 PM

61-Silli	For 2 Polling Stations (Polling Station Nos. 25, 26) 07:00 AM to 04:00 PM For remaining 277 Polling Stations 07:00 AM to 05:00 PM
62-Khijri (ST)	For 2 Polling Stations (Polling Station Nos. 204, 205) 07:00 AM to 04:00 PM For remaining 411 Polling Stations 07:00 AM to 05:00 PM

By Order,

(ARVIND ANAND)
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA
